



2026:AHC: 164431

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 347/1987

सुरक्षित

सिया राम एवं एक अन्य

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता : वी. सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : ए.जी.ए.

न्यायालय संख्या- 88

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. यह आपराधिक अपील, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में द.प्र.सं.) की धारा 374 (2) के अंतर्गत अपीलार्थी सिया राम और अमृत लाल द्वारा श्री इम्तियाजुद्दीन, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जौनपुर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 19 वर्ष 1986 (राज्य बनाम सत्तार और अन्य), जो थाना सराय ख्वाजा, जिला जौनपुर के मुकदमा अपराध संख्या 191 वर्ष 1985, धारा 395 भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में भा.द.सं.) से उत्पन्न हुआ है, में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 29.01.1987 के विरुद्ध दाखिल की गई है।

2. आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 29.01.1987 के द्वारा, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को धारा 395 भा.द.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया है और उन्हें तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

3. अभियोजन के मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि शीतला प्रसाद पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी हरैया, थाना हरैया, जिला जौनपुर ने पुलिस अधीक्षक, जौनपुर के समक्ष एक लिखित प्रार्थना पत्र, तहरीर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रदर्श क-1 दिया, जिसमें कहा गया कि 26/27.10.1985 की रात लगभग 01:00 बजे उनका ट्रक संख्या यूएचयू-702 थाना सराय ख्वाजा, जिला जौनपुर के दक्षिण की ओर जा रहा था, तभी लगभग दो किलोमीटर बाद इसके आगे का टायर पंचर हो गया। परिणामस्वरूप इसे रोक दिया गया और जब चालक और क्लीनर पंचर टायर की मरम्मत कर रहे थे, तो नौ अज्ञात व्यक्ति वहां पहुंचे। उनमें से एक बंदूक से लैस था। दो टंगी से लैस थे और शेष छह लाठियों से लैस थे। इन डकैतों ने क्लीनर शिव पूजन गोसाईं से जबरन नकदी, कलाई घड़ियां और एक गमछा लूट लिया। उनमें से कुछ ने चालक राजेंद्र प्रसाद से 12,390/- रुपये नकद और एच.एम.टी. कलाई घड़ी जबरन लूटी और उनमें से कुछ ने प्रथम सूचनादाता से 2,400/- रुपये नकद और स्वचालित कलाई घड़ी और ऊनी गमछा लूट लिया। डकैतों ने शोर मचाने पर गोली मारने की धमकी दी, तत्पश्चात वे भागने में सफल रहे। यह भी आरोप है कि ट्रक की हेडलाइट और चांदनी तथा टॉर्च की रोशनी में उनके चेहरे देखे गए थे। डकैत उन्हें पहले से ज्ञात नहीं थे। डर के कारण वे उस रात पुलिस स्टेशन नहीं गए बल्कि अपने गांव हरैया, थाना हरैया, जिला जौनपुर गए और अपने मालिक/स्वामी ओंकार प्रसाद को सूचित किया। इस प्रार्थना पत्र पर पुलिस अधीक्षक, बस्ती ने प्रार्थना पत्र को दर्ज करने और विवेचना करने के पृष्ठांकन के साथ थानाध्यक्ष, थाना सराय ख्वाजा को भेज दिया। तत्पश्चात, 28.10.1985 को 15:15 बजे थाना सराय ख्वाजा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और विवेचना शुरू हुई।

4. विवेचना अधिकारी एन.पी. सिंह ने चालक, क्लीनर और प्रथम सूचनादाता के बयान दर्ज किए। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और इसका नक्शा-नजरी (प्रदर्श क-8) तैयार किया। 28.10.1985 को अभियुक्तों को थाना गौरा बादशाहपुर की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, और सूचना प्राप्त होने पर विवेचना अधिकारी पुलिस स्टेशन गए जहां उन्होंने अभियुक्तों के बयान दर्ज किए। 28.11.1985 को, उन्होंने उनकी शिनाख्त परेड के लिए रिपोर्ट दी। उन्होंने थानाध्यक्ष वी.पी. सिंह का बयान भी दर्ज किया, जिन्होंने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। उन्होंने गिरफ्तारी के स्थान का भी निरीक्षण किया और इसका नक्शा-नजरी (प्रदर्श क-9) तैयार किया। गिरफ्तारी के समय अभियुक्तों को बापरदा रखा गया था और उन्हें जिला जेल, बस्ती भेज दिया गया था। शिनाख्त परेड 02.01.1986 को श्री रामनाथ, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा आयोजित की गई थी और शिनाख्त के पश्चात, सात अभियुक्तों, अर्थात् सत्तार, हरि ओम, गोरेलाल, राजेश,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सिया राम, अमृत लाल और सुरेश के विरुद्ध आरोप पत्र सक्षम न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया था।

5. संबंधित न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया और अभियुक्तों को तलब किया, वे उपस्थित हुए और धारा 207 द.प्र.सं. के अंतर्गत उन्हें प्रासंगिक अभियोजन दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान की गईं और तत्पश्चात मामले को विचारण के लिए सत्र न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया।

6. अभियुक्त विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, जहां उनके विरुद्ध धारा 395 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया, जिस पर उन्होंने अपराध स्वीकार नहीं किया और विचारण की मांग की।

7. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को सिद्ध करने के लिए छह गवाहों का परीक्षण किया है, अर्थात् पी.डब्ल्यू.1 राम नाथ कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिनके समक्ष जिला जेल, जौनपुर में अभियुक्तों की शिनाख्त परेड आयोजित की गई थी; पी.डब्ल्यू.2 शीतला प्रसाद, प्रथम सूचनादाता जो घटना के समय ट्रक में उपस्थित था; पी.डब्ल्यू.3 राजेंद्र प्रसाद, जो ट्रक का चालक है; पी.डब्ल्यू.4 शिव पूजन जो ट्रक का क्लीनर है; पी.डब्ल्यू.5 थानाध्यक्ष वी.पी. सिंह जिन्होंने अपीलार्थियों को गिरफ्तार किया था और पी.डब्ल्यू.6 थानाध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद सिंह, जो मामले के विवेचना अधिकारी हैं।

8. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात, धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्तों के बयान दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन के मामले से इनकार किया है और कहा है कि उन्हें 22.11.1985 को दोपहर लगभग 03:00 बजे गिरफ्तार किया गया था और चार दिनों तक पुलिस स्टेशन में निरुद्ध रखा गया था तथा इस अवधि के दौरान उन्हें गवाहों को दिखाया गया था। यह भी कहा गया कि थाना गौरा बादशाहपुर की पुलिस ने अभियुक्तों की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिसके संबंध में उन्होंने विरोध किया था जिसके कारण उन्हें इस मामले सहित कई मामलों में झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने सत्र परीक्षण संख्या 95 वर्ष 1986 में निर्णय की एक प्रमाणित प्रति, वाद संख्या 650 वर्ष 1986 में निर्णय की एक प्रमाणित प्रति और सत्र परीक्षण संख्या 95 वर्ष 1986 के गिरफ्तारी ज्ञापन की एक प्रमाणित प्रति दाखिल की है।

9. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात, पाया कि तथ्य के गवाहों के बयान और जिला जेल के साथ-साथ न्यायालय के समक्ष अभियुक्तों

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



की पहचान के दृष्टिगत, अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों सिया राम और अमृत लाल के विरुद्ध अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम रहा है, जिन्हें गवाहों ने सही ढंग से पहचाना है और इस प्रकार, उन्हें धारा 395 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया और उन्हें ऊपर दर्शाई गई अवधि के लिए सजा सुनाई गई। शेष अभियुक्तों को संदेह का लाभ दिया गया और उन्हें उन अपराधों से दोषमुक्त कर दिया गया जिनका उन पर आरोप लगाया गया था।

10. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री वीरेंद्र सिंह और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री राजीव पांडेय को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।

11. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष का प्रकरण अत्यधिक संदिग्ध है। शिनाख्त परेड उचित रूप से आयोजित नहीं की गई थी। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तों को बापरदा नहीं रखा गया था और उन्हें पुलिस स्टेशन में गवाहों को दिखाया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि शिनाख्त परेड उनकी गिरफ्तारी के लगभग दो महीने बाद आयोजित की गई थी और इतना लंबा अंतराल गवाहों द्वारा की गई पहचान पर संदेह पैदा करता है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि गिरफ्तारी का कोई सार्वजनिक गवाह नहीं है और इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं किया है और इस प्रकार, आक्षेपित निर्णय और आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

12. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध कर दिया है। गवाहों ने जिला जेल के साथ-साथ न्यायालय के समक्ष दोनों अपीलार्थियों को पहचाना है। उनकी गवाही सुसंगत, विश्वसनीय और भरोसेमंद है। उपरोक्त के दृष्टिगत, अपीलार्थियों को सही ढंग से दोषसिद्ध किया गया है और इस अपील में कोई बल नहीं है तथा यह खारिज किए जाने योग्य है।

13. अभियोजन का मामला यह है कि 26/27.10.1985 की रात लगभग 01:00 बजे, अपीलार्थियों ने अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर ग्राम देवकली, थाना सराय ख्वाजा, जिला जौनपुर के अंतर्गत सड़क पर शीतला प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और शिव पूजन की नकदी और अन्य सामान लूटकर डकैती की। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना के समय शीतला प्रसाद का ट्रक संख्या यूपचयू-702 सड़क पर चल रहा था और जब यह घटनास्थल पर पहुंचा, तो इसके बाएं तरफ का अगला

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



टायर पंचर हो गया और जब चालक और क्लीनर टायर बदल रहे थे, तो नौ अज्ञात व्यक्ति आए और उन्हें लूट लिया। यह निर्विवाद है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी और जिन बदमाशों/डकैतों ने डकैती की थी, वे गवाहों को पहले से ज्ञात नहीं थे। पी.डब्ल्यू.2 शीतला प्रसाद ट्रक के स्वामी हैं, पी.डब्ल्यू.3 राजेंद्र प्रसाद चालक हैं और पी.डब्ल्यू.4 शिव पूजन ट्रक के क्लीनर हैं और इन तीनों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है और उनकी गवाही इस बिंदु पर सुसंगत है कि कथित तिथि, समय और स्थान पर उन्हें 9 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लूटा गया था।

14. प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी डकैतों के उस गिरोह के सदस्य थे जिसने अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथित रूप से डकैती की थी। अभियोजन का प्रकरण कारागार में और न्यायालय के समक्ष आयोजित शिनाख्त पर आधारित है।

15. शिनाख्त परेड के संबंध में तुकेश सिंह और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, 2025 आई.एन.एस.सी. 683 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तर 21 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था:

"21. ऐसे वाद में जहां चश्मदीद गवाह हैं, एक स्थिति यह हो सकती है कि चश्मदीद गवाह घटना से पूर्व अभियुक्त को जानता था। चश्मदीद गवाहों को कटघरे में बैठे अभियुक्त को उसी अभियुक्त के रूप में पहचानना चाहिए जिसे उन्होंने अपराध करते देखा था। एक अन्य स्थिति यह हो सकती है कि चश्मदीद गवाह घटना से पूर्व अभियुक्त को नहीं जानता था। सामान्य अनुक्रम में, दूसरी स्थिति के मामले में, शिनाख्त परेड आयोजित करना आवश्यक है। यदि यह आयोजित नहीं की जाती है और यदि चश्मदीद गवाह का साक्ष्य कुछ वर्षों के बाद दर्ज किया जाता है, तो न्यायालय में चश्मदीद गवाह द्वारा ऐसे अभियुक्त की पहचान कमजोर हो जाती है। चश्मदीद गवाह द्वारा न्यायालय में बैठे अभियुक्त की पहचान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि एक चश्मदीद गवाह अपनी गवाही में कहता है कि 'उसने ए, बी और सी को एक्स की हत्या करते देखा था और वह ए, बी और सी को जानता था'। मुख्य परीक्षा में ऐसा बयान इसे अभियुक्त से जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। चश्मदीद गवाह को न्यायालय में अभियुक्त ए, बी और सी की पहचान करनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, अभियोजन पक्ष यह स्थापित नहीं कर सकता है कि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अभियुक्त वही व्यक्ति हैं जिनका नाम चश्मदीद गवाह ने अपनी गवाही में लिया है। यदि एक चश्मदीद गवाह कहता है कि 'उसने एक अभियुक्त को तलवार से मृतक पर हमला करते देखा था, दूसरे अभियुक्त को लाठी से मृतक पर हमला करते देखा था और दूसरे अभियुक्त को मृतक को पकड़े हुए देखा था ताकि अन्य अभियुक्त मृतक पर हमला कर सकें।' ऐसे मामले में, चश्मदीद गवाह को खुले न्यायालय में उस अभियुक्त की पहचान करनी चाहिए जिसने, उसके अनुसार, लाठी से अभियुक्त पर हमला किया था, जिसने तलवार से मृतक पर हमला किया था और जो मृतक को पकड़े हुए था। जब तक चश्मदीद गवाह न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त की पहचान नहीं करते, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि चश्मदीद गवाहों की गवाही के आधार पर, अभियुक्त का अपराध सिद्ध हो गया है।"

16. **जयन बनाम केरल राज्य, एल.एल. 2021 एस.सी. 582** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि:

"18. यह भली-भांति स्थापित है कि शिनाख्त परेड विवेचना का एक हिस्सा है और यह सारभूत साक्ष्य नहीं है। शिनाख्त परेड आयोजित करने का प्रश्न तब उठता है जब अभियुक्त गवाह को पहले से ज्ञात नहीं होता है। किसी गवाह द्वारा न्यायालय में उस अभियुक्त की पहचान करना, जिसने पहली बार अपराध की घटना में अभियुक्त को देखा है, साक्ष्य का एक कमजोर हिस्सा है, विशेष रूप से तब जब घटना की तिथि और उसके साक्ष्य दर्ज करने की तिथि के बीच एक बड़ा समय अंतराल हो। ऐसे मामले में, शिनाख्त परेड न्यायालय के समक्ष गवाह द्वारा अभियुक्त की पहचान को विश्वसनीय बना सकती है।"

17. **कट्टवेल्लई बनाम तमिलनाडु राज्य, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1439** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:-

"विधि का कोई भी प्रावधान विवेचक अधिकारियों पर शिनाख्त परेड आयोजित करने की बाध्यता नहीं डालता है। यदि यह आयोजित की जाती है, तो इसे नियंत्रित करने वाला प्रावधान धारा 162, द.प्र.सं. है। यह दिखाने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर है कि शिनाख्त परेड विधि के अनुसार आयोजित की गई है, और इस दायित्व के प्रथम दृष्टया निर्वहन के बाद ही, इस संबंध में आपतियों पर विचार करने का प्रश्न उठता है। यह एक सारभूत

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



साक्ष्य नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य विवेचक अधिकारियों के लिए उस दिशा की सत्यता, या उसकी कमी का विश्लेषण करना है जिसमें वे विवेचना को निर्देशित कर रहे हैं। अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना चाहिए कि शिनाख्त परेड आयोजित होने से पूर्व, गवाह को अभियुक्त को देखने का कोई अवसर नहीं मिला था। दूसरे शब्दों में, अभियुक्त को 'बापरदा' रखा जाना चाहिए। यदि उपरोक्त सुनिश्चित नहीं किया गया है, तो शिनाख्त परेड का साक्ष्य अग्राह्य हो जाता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि शिनाख्त परेड से पूर्व, गवाह को अभियुक्त की तस्वीर देखने का भी अवसर मिलता है, तो ऐसी प्रक्रिया महत्वहीन हो जाती है।"

18. उपरोक्त विधिक स्थिति के दृष्टिगत, यदि हम पी.डब्ल्यू.2 शीतला प्रसाद के बयान का परीक्षण करते हैं तो यह दर्शाता है कि वह बदमाशों/डकैतों की पहचान नहीं कर सका क्योंकि वह ट्रक के अंदर था और अंधेरा था, इसलिए जहां तक अपीलार्थियों की पहचान का संबंध है, पी.डब्ल्यू.2 शीतला प्रसाद का बयान बहुत तात्त्विक नहीं है।

19. पी.डब्ल्यू.1 राम नाथ, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, जिनके समक्ष, 02.01.1986 को, जिला जेल, जौनपुर में अपीलार्थियों, अन्य सह-अभियुक्तों और संदिग्धों की शिनाख्त परेड आयोजित की गई थी। उन्होंने उस प्रक्रिया के बारे में बताया है जो उन्होंने शिनाख्त परेड के समय अपनाई थी और शिनाख्त परेड ज्ञापन को प्रदर्शक-1 के रूप में सिद्ध किया है। उन्होंने कहा है कि गवाह राजेंद्र प्रसाद ने सतार, गोरेलाल, हरिओम, राजेश, सिया राम, अमृत लाल और सुरेश को सही ढंग से पहचाना और गवाह शिव पूजन ने सिया राम और अमृत लाल को सही ढंग से पहचाना।

20. जिरह में, पी.डब्ल्यू.1 ने कहा है कि गवाह राजेंद्र प्रसाद ने सालिग राम को गलत पहचाना और गवाह शिव पूजन ने गोरेलाल, सिया राम, हरिओम, सतार, राजेश, सालिग राम और सुरेश को गलत पहचाना है।

21. पी.डब्ल्यू.1 के उपरोक्त बयान के दृष्टिगत, यह स्पष्ट है कि जेल में पहचान के लिए रखे गए सभी अभियुक्तों में से, पी.डब्ल्यू.3 राजेंद्र प्रसाद ने पहचान के लिए सामने रखे गए आठ व्यक्तियों में से एक को छोड़कर सभी को सही ढंग से पहचाना। इसलिए, उसका पहचान प्रतिशत लगभग 90 प्रतिशत है। जहां तक गवाह पी.डब्ल्यू.4 शिव पूजन का संबंध है, उसने केवल दो अभियुक्तों, अर्थात् अपीलार्थियों- सिया राम और अमृत लाल को सही ढंग से पहचाना है और छह

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अन्य सह-अभियुक्तों को गलत ढंग से पहचाना है। इसलिए, उसका पहचान प्रतिशत लगभग बीस प्रतिशत है। अन्य गवाह पी.डब्ल्यू.2 शीतला प्रसाद ने स्वयं कहा है कि वह किसी भी डकैत को नहीं पहचान सका क्योंकि अंधेरा था और वह ट्रक के अंदर था। जहां तक शिव पूजन का संबंध है, वह केवल दो अभियुक्तों सिया राम और अमृत लाल को सही ढंग से पहचान सका और उसने शेष छह अभियुक्तों को गलत ढंग से पहचाना है, इसलिए, उसका पहचान प्रतिशत लगभग बीस प्रतिशत है, इसलिए, उसकी पहचान विश्वसनीय नहीं है। अतः एकल गवाह, राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई पहचान पर भरोसा करने और उनकी पहचान के आधार पर अपीलार्थियों को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है।

22. यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि अभियोजन पक्ष के प्रकरण के अनुसार, अपीलार्थियों को विवेचना के दौरान 26.11.1985 को गिरफ्तार किया गया था, तत्पश्चात, जिला कारागार में शिनाख्त परेड 02.01.1986 को आयोजित की गई थी, जिसका अर्थ यह है कि लगभग 38 दिनों के अंतराल के बाद शिनाख्त की गई थी। अभियोजन पक्ष ने इस विलंब का स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि शिनाख्त परेड को जल्द से जल्द क्यों नहीं आयोजित किया जा सका। यह सामान्यतः अनुभव किया जाता है कि समय बीतने के साथ व्यक्ति की स्मृति कम हो जाती है, इसलिए इस प्रकार के मामलों में अभियोजन पक्ष के लिए संदिग्धों की शिनाख्त परेड को जल्द से जल्द आयोजित करना आवश्यक था। जिला जेल में शिनाख्त परेड आयोजित करने में ऐसे विलंब का स्पष्टीकरण न देना, अभियोजन पक्ष के मामले को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

23. यह ध्यान देना भी प्रासंगिक है कि अभियोजन पक्ष ने कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्तों को बापरदा रखा गया था और जब वे हिरासत में थे, तब किसी गवाह या किसी व्यक्ति को उन्हें देखने का कोई अवसर नहीं मिला। गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्तों को जिला जेल में बंद किए जाने तक बापरदा रखे जाने का कोई भी ऐसा संपर्क साक्ष्य प्रस्तुत न करना भी अभियोजन पक्ष के प्रकरण पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है।

24. यह ध्यान देना भी प्रासंगिक है कि कथित गिरफ्तारी का कोई सार्वजनिक गवाह नहीं है और यहां तक कि पी.डब्ल्यू.5 थानाध्यक्ष वी.पी. सिंह, जिन्होंने अपीलार्थियों को गिरफ्तार किया है, ने कहा है कि पुलिस स्टेशन में कोई हवालात नहीं है और वहां केवल एक कमरा है, जिसमें कार्यालय है और जनता वहां सामान्यतः आती है। यह अभियोजन पक्ष के मामले पर गंभीर संदेह उत्पन्न

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



करता है कि अभियुक्तों को बापरदा रखने के लिए सभी सावधानियां बरती गई थीं और इस प्रकार, संपूर्ण पहचान प्रक्रिया दोषपूर्ण और अविश्वसनीय है।

25. यहां यह ध्यान देना भी प्रासंगिक है कि पी.डब्ल्यू.3 राजेंद्र प्रसाद, चालक और पी.डब्ल्यू.4 शिव पूजन, ट्रक के क्लीनर के बयान न्यायालय में 22.11.1986 को दर्ज किए गए थे, अर्थात् घटना घटित होने के लगभग एक वर्ष से अधिक समय के बाद, और जिस तरीके से लूट हुई, यह अत्यधिक संदिग्ध है कि ये गवाह इतने लंबे समय तक अपनी स्मृति में डकैतों के चेहरे याद रखेंगे कि वे न्यायालय में उन्हें सही ढंग से पहचान लेंगे। इसलिए, न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी और अन्य सह-अभियुक्तों की पहचान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

26. अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना के समय प्रकाश का स्रोत केवल चांदनी और ट्रक की हेडलाइट थी, जिसे चालक ने टायर की मरम्मत करते समय चालू रखा था। चूंकि घटना तब हुई जब वे टायर बदल रहे थे या टायर की मरम्मत कर रहे थे, तो ट्रक की हेडलाइट और चांदनी बदमाशों/डकैतों की पहचान करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि घटना ट्रक के सामने नहीं, बल्कि ट्रक के बगल में और केबिन में हुई है, जहां ट्रक की हेडलाइट की चमक पर्याप्त प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगी। इसलिए, घटना के समय प्रकाश का स्रोत भी पर्याप्त नहीं है जो किसी व्यक्ति को बदमाशों/डकैतों की पहचान करने में सक्षम बना सके।

27. यह भी प्रासंगिक है कि पी.डब्ल्यू.3 राजेंद्र प्रसाद के अनुसार, डकैतों में से केवल एक ने नकदी और अन्य सामान की लूट की और शेष डकैत उन्हें घेरे हुए थे, जबकि इसके विपरीत पी.डब्ल्यू.4 शिव पूजन ने कहा है कि सभी डकैतों ने लूट की।

28. पी.डब्ल्यू.4, विवेचना अधिकारी के बयान में यह आया है कि वह उस स्थान (डेरा) पर गया था जहां अभियुक्त रहते थे और वहां उसे 10-12 महिलाएं उपस्थित मिलीं और बचाव पक्ष का यह मामला है कि पुलिस उनके स्थान पर आई और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया और जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें इस वाद में झूठा फंसा दिया गया। प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के दृष्टिगत अभियोजन पक्ष का मामला अत्यधिक संदिग्ध है, इसलिए यह बचाव पक्ष के संस्करण को संभावित बनाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



29. उपरोक्त चर्चा के दृष्टिगत, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहा है और गवाहों द्वारा अपीलार्थियों की पहचान विश्वसनीय और भरोसेमंद नहीं है और इस प्रकार, अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहा है कि अपीलार्थी डकैतों के उन गिरोहों के सदस्यों में से एक थे, जिन्होंने कथित तिथि, समय और स्थान पर शीतला प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और शिव पूजन के साथ डकैती की। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सही ढंग से मूल्यांकन करने में विफल रहा है और अपीलार्थियों के अपराध के गलत निष्कर्ष पर पहुंचा है और इस प्रकार आक्षेपित निर्णय और आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं और यह अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

30. उपरोक्त के दृष्टिगत, वर्तमान आपराधिक अपील तदनुसार **स्वीकार** की जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 19 वर्ष 1986 (राज्य बनाम सत्तार और अन्य) में पारित आक्षेपित **निर्णय और आदेश दिनांक 29.01.1987** को **अपास्त** किया जाता है और अपीलार्थियों सिया राम और अमृत लाल की दोषसिद्धि को भी अपास्त किया जाता है और उन्हें धारा 395 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

31. अपीलार्थी **सिया राम और अमृत लाल** जमानत पर हैं। उन्हें आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। उनके व्यक्तिगत बंधपत्र और जमानत बंधपत्र रद्द किए जाते हैं और प्रतिभुओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

32. सूचना और आवश्यक अनुपालन के लिए इस निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ संबंधित न्यायालय को वापस की जाए।

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार)

6 अगस्त, 2026

आदित्य जी/

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”